भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण
अगस्त, 2022 माह की उपलब्धियाँ

I. जारी किए गए विनियम

1. दिनांक 30.08.2022 को खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग) द्वितीय संशोधन विनियम, 2022 अधिसूचित किए गए। विनियम 4 के उप-विनियम 4, सारणी 1 में "खाद्य वस्तुओं के संपर्क में आने वाली प्लास्टिक की सामग्रियों से पदार्थों की विशिष्ट अंतरण सीमाओं की सूची में , एंटीमनी और थैलिक एसिड, बीआईएस (2-एथिलहेक्सिल) एस्टर (डीईएचपी) के मापदंड शामिल किए गए । ये संशोधन विनियम राजपत्र में अधिसूचना की तिथि से प्रभावी हैं।

2. दिनांक 30.08.2022 को खाद्य सुरक्षा और मानक (शिशु पोषण आहार) प्रथम संशोधन विनियम, 2022 अधिसूचित किए गए। ये संशोधन इन विनियमों के विनियम 4, 7 और 10 में कतिपय संशोधनों से संबंधित हैं। ये संशोधन विनियम 1 अक्टूबर, 2022 से प्रभावी हैं।

3. दिनांक 30.08.2022 को खाद्य सुरक्षा और मानक (विज्ञापन और दावे) प्रथम संशोधन विनियम, 2022 अधिसूचित किए गए। ये संशोधन खाद्य वनस्पति तेलों के लिए दावों की सूची से संबंधित अनुसूची-2क की जगह नई अनुसूची-2क प्रतिस्थापित करने से संबंधित हैं। ये संशोधन विनियम 1 मार्च, 2023 से प्रभावी हैं।

II. आदेश/परामर्शिकाएँ

1. दिनांक 03 अगस्त, 2022 के आदेश द्वारा यह निर्णय लिया गया कि दूध और दुग्ध उत्पादों, सूअर और सूअर उत्पादों, तथा मछली और मत्स्य उत्पादों की आयातित खाद्य खेपों के साथ निर्धारित प्रपत्र में निर्यातक देश की सक्षम प्राधिकरण द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र हो। यह आदेश 1 नवंबर 2022 से प्रभावी होंगे।

2. खाद्य सुरक्षा और मानक (न्युट्रास्युटिकल्स) विनियम, 2022 में शामिल उत्पादों के लिए फॉस्कोस के लाइसेंस में संशोधन आवेदनों से संबंधित दिनांक 08 अगस्त, 2022 की परामर्शिका द्वारा केंद्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकारियों को केवल उन उत्पादों की जाँच करने का परामर्श दिया गया, जिनके बारे में हाथ के संशोधन आवेदन में अनुरोध किया गया हो तथा वे पहले लाइसेंसशुदा उत्पादों की पुन: जाँच तब तक न करें जब तक कोई खाद्य सुरक्षा मुद्दा अथवा किसी उत्पाद/खाद्य कारोबारी के विरुद्ध कोई विशिष्ट शिकायत न हो, ताकि संशोधन आवेदनों पर कार्रवाई करने में असाधारण देरी से बचा जा सके।

3. विपणन और निरीक्षण निदेशालय द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण के प्रकाश में दिनांक 18 अगस्त, 2022 की परामर्शिका द्वारा सम्मिश्र खाद्य वनस्पति तेल (बीवो) के आयात से पहले एग्मार्क प्रमाणन की अपेक्षा से संबंधित दिनांक 07 जुलाई, 2020 द्वारा जारी पिछली परामर्शिका वापस ली गई।

4. दिनांक 23 अगस्त, 2022 के आदेश द्वारा खाद्य कारोबारियों से प्रयुक्त पकवान तेल के संग्रहण के लिए 23 गैर-खाद्य उत्पादन इकाइयों के अस्थायी एनरोलमेंट 30.07.2023 तक अथवा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा बॉयोडीजल उत्पादन के लिए फा. सं. पी-13039(18)/1/2018-सीसीपी(पी-26825) द्वारा जारी राजपत्र अधिसूचना, दिनांक 20.04.2019 के खंड (xiv) के अनुसार राज्य/संघशासित क्षेत्र में पंजीकरण प्रणाली का विकास होने तक बढ़ा दिया गया है।

5. दिनांक 31 अगस्त, 2022 के नोटिस द्वारा यह निर्णय लिया गया कि दिनांक 01 अक्टूबर, 2022 से खाद्य सुरक्षा और मानक (गैर-निर्दिष्ट खाद्य और खाद्य संघटकों के लिए अनुमोदन) विनियम, 2017 के तहत आवेदन केवल ईपास (इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट एंड क्लेम अप्रूवल एप्लीकेशन सिस्टम) के माध्यम से ही किए जाएँ तथा ई-मेल अथवा डाक से भेजे गए आवेदन सरसरी तौर पर निरस्त कर दिए जाएँगे ।

6. दिनांक 02 अगस्त, 2022 के आदेश द्वारा यह निर्णय लिया गया कि प्राधिकृत अधिकारी अथवा उसका प्रतिनिधि सूक्ष्मजैविक मानदंडों के परीक्षण की अपेक्षा वाली आयातित खाद्य वस्तुओं का प्रतिचयन और उनकी सीलबंदी सूक्ष्मजैविक विश्लेषण के प्रतिचयन संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार केवल अपूतिक अवस्थाओं में ही करे। आयातित खाद्य वस्तुओं के विश्लेषण करने वाली प्रयोगशालाओं को भी निर्देश दिया गया कि वे ये नमूने अपूतिक अवस्थाओं में होने पर ही स्वीकार करें अन्यथा उन्हें संबंधित प्राधिकृत अधिकारी को वापस कर दें। प्रयोगशालाएँ अधूरे मानदंडों, यथा ऐसी आयातित खाद्य वस्तुओं के संबंध में सूक्ष्मजैविक मानदंडों के बिना विश्लेषण न करें। आगे, दिनांक 16 अगस्त, 2022 के स्पष्टीकरण आदेश द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि खाद्य सुरक्षा और मानक (आयात) विनियम, 2017 के विनियम 9 के उपबंधों के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी/प्रतिनिधि प्रतिचयन के दौरान खाद्य के नमूने केवल दो भागों में लें। यह भी कि आयातित खाद्य वस्तुओं के नमूनों का विश्लेषण केवल खाद्य सुरक्षा और मानक (आयात) विनियम, 2017 के विनियम 10 के अनुसार किया जाए।

III. गुणता आश्वासन

1. <u>खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं की अधिसूचना</u>

एफ.एस.एस.ए.आई नमूनों के विनियमात्मक और निगरानी परीक्षणों के प्रयोजन से खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 43(1) के तहत प्राथमिक प्रयोगशालाओं को अधिसूचित करती है। अगस्त, 2022 के दौरान कंबाइन्ड फूड एंड ड्रग लैबोरेटरी, पटना को खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 43(1) के तहत प्राथमिक प्रयोगशाला के रूप में अधिसूचित किया गया, जिससे प्राथमिक खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं की संख्या बढ़कर 225 हो गई।

2. <u>खाद्य विश्लेषको की अधिसूचना</u>

एफ.एस.एस.ए.आई ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 45 के तहत एक अन्य खाद्य विश्लेषक को अधिनियम और नियमों/विनियमों के तहत कर्तव्यों के अखिल भारतीय स्तर पर निर्वहन के प्रयोजन से अधिसूचित किया है। इससे एफ.एस.एस.ए.आई द्वारा अधिसूचित खाद्य विश्लेषकों की कुल संख्या 146 हो गई है।

3. <u>चल खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं सहित देश में खाद्य परीक्षण प्रणाली का सशक्तीकरण</u>

क) राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं (एस.एफ;टी.एल) का उन्नयन/स्थापना

एफ.एस.एस.ए.आई रु. 481.95 करोड़ के प्रारम्भिक परिव्यय से "चल खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं सहित देश में खाद्य परीक्षण प्रणाली का सशक्तीकरण'' विषय की केंद्रीय क्षेत्र की योजना (सीएसएस) शुरू की जो प्रारम्भ में 2019-20 तक थी । प्रारंभिक परिव्यय से रु. 372.35 का अनुदान जारी किया गया। योजना की पुनरीक्षा की गई तथा सरकार के अनुमोदन से इसे अतिरिक्त मानदंडों और रु. 241.34 करोड़ के परिव्यय से वित्तीय वर्ष 2022-23 तक आगे बढ़ाया गया। अत: अब योजना का संशोधित वित्तीय परिव्यय रु. 613.79 करोड़ रुपये है। योजना के तहत अन्य बातों के साथ-साथ 43 राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना करना है। प्रत्येक राज्य में कम से एक खाद्य प्रयोगशाला तथा बड़े राज्यों में 2 खाद्य प्रयोगशालाओं की सहायता की जानी परिलक्षित है तथा प्रत्येक राज्य खाद्य प्रयोगशाला (एसएफटीएल) के लिए रु. 13.90 करोड़ का अनुदान उद्दिष्ट है।

अगस्त, 2022 के दौरान केंद्रीय क्षेत्र की योजना (सीएसएस) के तहत मध्य प्रदेश तथा अरुणाचल प्रदेश एस.एफ.टी.एल को अपग्रेड करने के प्रयोजन से उच्च प्रौद्योगिकी के उपकरण, प्रयोगशाला के लिए आधारभूत उपकरण खरीदने, नवीकरण कार्य करने, उपभोज्य वस्तुओं की खरीद, राफ्ट किटों की खरीद इत्यादि के लिए रु. 264.32 की राशि जारी की गई।

राज्यों की खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं के उन्नयन के लिए निधियाँ सीएसएस निधियों के अतिरिक्त एमओयू के तहत अन्य निधि से भी जारी की जाती हैं। 2022-23 में अगस्त, 2022 के अंत तक प्रयोगशालाओं से संबंधित एमओयू के भाग 'ख' के तहत क्रमश: रु. 5448.87 लाख (पूँजी) और रु. 1323.36 लाख (सामान्य) की राशि स्वीकृत/जारी की गई।

ख) चल खाद्य सुरक्षा

एफ.एस.एस.ए.आई ने केंद्रीय क्षेत्र की योजना के तहत तथा अन्य निधियों से राज्यों/संघशासित क्षेत्रों को 173 पूरी तरह से सुसज्जित चल खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएँ उपलब्ध कराई हैं। इन्हें चल खाद्य सुरक्षा नाम दिया गया है। एफ.एस.एस.ए.आई वर्तमान में राज्यों/संघशासित क्षेत्रों को एफएसडब्ल्यू एमओयू ढाँचे के तहत गैर-सीएसएस निधियों से जीएम पोर्टल के माध्यम से सीधे खरीदने के लिए

अनुदान जारी कर रही है। अगस्त, 2022 के दौरान एफ.एस.एस.ए.आई ने गैर-सीएसएस निधियों से एफएसडब्लयू के प्रचालन व्यय के लिए मध्य प्रदेश राज्य के लिए रु. 40 लाख की राशि स्वीकृत की।

IV. एमओयू ढाँचे के अंतर्गत निधियों का निर्गमन

एफ.एस.एस.ए.आई राज्यों/संघशासित क्षेत्रों के साथ एमओयू योजना के तहत उन्हें वर्ष 2020-21 से वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान कर रही है। यह सहायता अनुमोदित कार्य योजनाओं के तहत खाद्य सुरक्षा ईकोसिस्टम के अंतर पाटने और देश में खाद्य सुरक्षा की समग्र स्थिति में सुधार लाने के लिए दी जाती है। इन गतिविधियों में राज्य खाद्य परीक्षण ईको-सिस्टम को अपग्रेड करना, एफ.एस.एस.ए.आई की विभिन्न पहलों का आयोजन करना, आईईसी गतिविधियाँ करना, लाइसेंसिंग और पंजीकरण के लिए हेल्पडेस्क स्थापित करना, राज्य द्वारा लाइसेंसशुदा खाद्य कारोबारियों का ऑडिट करना, एफ.एस.एस.ए.आई के पैनल में शामिल निजी प्रयोगशालाओं से नमूनों का परीक्षण कराना, खाद्य कारोबारियों के लिए आधारभूत फोस्टैक प्रशिक्षण आयोजित करना आदि शामिल हैं। अगस्त, 2022 के दौरान दो राज्यों (मध्य प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश) को रु. 1063.25 लाख की राशि (सीएसएस के तहत रु. 264.32 लाख और सीएसएस से इतर रु. 798.93 लाख) जारी की गई।

कुल मिलाकर वर्ष 2022-23 के दौरान अगस्त माह के अंत तक केंद्रीय क्षेत्र की योजना (सोफ्टेल) के तहत 28 राज्यों/संघशासित क्षेत्रों को रु. 6167.81 लाख और सीएसएस से इतर रुपये 13980.24 लाख रुपये की राशि (कुल रु. 20148.05 लाख) जारी की गई।

V. सामाजिक और व्यवहारगत परिवर्तन

1. **जागरूकता -** एफ.एस.एस.ए.आई विभिन्न हितधारकों को सुरक्षित खाद्य और स्वास्थ्यकर आहार के बारे में शिक्षित करने के लिए प्रिंट, इलेक्ट्रॉनी और सोशल मीडिया आदि ऑनलाइन विधि तथा समारोहों/प्रदर्शनियों आदि की ऑफलाइन विधि दोनों विधियों से संप्रेषण के विभिन्न माध्यमों का प्रयोग करके आईईसी की विभिन्न गतिविधियाँ करती है। अगस्त, 2022 माह के दौरान जन जागरूकता उत्पन्न करने के लिए कुल 11 क्रिएटिव तैयार किए गए और एफ.एस.एस.ए.आई के विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के माध्यम से परिचालित किए गए। देश के नागरिकों में ईट राइट इंडिया अभियान के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिए अगस्त, 2022 के दौरान दूरदर्शन पर 7 वीडियो प्रसारित किए गए।

2. **ईट राइट इंडिया की पहलें - ईट राइट इंडिया की पहलों के अंतर्गत** एफ.एस.एस.ए.आई खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता के मानदंडों के आधार पर विभिन्न खाद्य कारोबारों/समूहों को प्रमाणित करती है। खाद्य प्रतिष्ठानों में समग्र अवसंरचना के साथ-साथ खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता के स्तरों में सुधार लाने के लिए प्रमाणन योजनाएँ प्रारंभ की गई हैं। अगस्त, 2022 माह के दौरान जारी किए गए प्रमाण-पत्रों की कुल संख्या निम्नानुसार है:

क्रम सं.	पहल	कुल
1.	भोग (ईश को आनंददायी स्वच्छ भोग)	08
2.	ईट राइट कैंपस	265
3.	स्वच्छ स्ट्रीट फूड हब	02
4.	साफ और ताजा फल और सब्जी मंडी	05
5.	ईट राइट स्टेशन	02

3. ईट राइट मेला और वॉकथॉन

'आजादी का अमृत महोत्सव' मनाने के लिए एफ.एस.एस.ए.आई देश की स्वतंत्रता के 75 वर्षों का संदेश फैलाने के लिए 75 शहरों में "ईट राइट वॉकथॉन और ईट राइट मेला" आयोजित कर रही है। इन समारोहों का ध्येय सुरक्षित, स्वास्थ्यकर और सही आहारों के सेवन का संदेश देना है। अगस्त, 2022 में कुल 47 ईट राइट मेले और वाकाथन आयोजित किए गए।

VI. प्रशिक्षण और क्षमता-निर्माण

1. एफ.एस.एस.ए.आई के फोस्टैक प्रशिक्षण कार्यक्रम में खाद्य सेवा प्रतिष्ठानों में अच्छी उत्पादन रीतियों (जीएमपी) और उचित स्वच्छता और साफ-सफाई पर ध्यान केंद्रित कराया जाता है। खाद्यकर्मियों के लिए ये अल्पावधि के प्रशिक्षण कार्यक्रम पैनल में शामिल प्रशिक्षण सहयोगियों की सहायता से नियमति रूप से आयोजित किए जा रहे हैं। अगस्त, 2022 के दौरान 317 खाद्य सुरक्षा पर्यवेक्षक प्रशिक्षणों के माध्यम से 10,411 खाद्यकर्मियों को प्रशिक्षित किया गया।

2. एफ.एस.एस.ए.आई विनियामक कार्मिकों और अपने नियमित कर्मचारियों के लिए भी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करती है। अगस्त, 2022 के दौरान आयोजित प्रशिक्षणों का विवरण निम्नानुसार है:

प्रशिक्षण का नाम	प्रशिक्षणों की संख्या	प्रशिक्षित कार्मिकों की संख्या
राजस्थान के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के लिए ऑनलाइन परिचय प्रशिक्षण कार्यक्रम - 22.08.2022 से 08.09.2022 (14-दिवसीय)	01	32

3. प्रयोगशाला कार्मिकों और अन्य हितधारकों को प्रशिक्षण

एफ.एस.एस.ए.आई ने राज्यों/संघशासित क्षेत्रों के प्रयोगशाला कार्मिकों के लिए (1) विमटा लैब, नोएडा , और (2) ईएफआरएसी, कोलकाता के सहयोग से 2 प्रायोगिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का ध्येय चावल के पौष्टिकीकरण

परीक्षण में सुरक्षा मानदंडों यथा पेस्टीसाइड अवशिष्टों, एफ्लाटोक्सिनों, प्रतिजैविक अवशिष्टों, भारी धातुओं का विश्लेषण करना और पद्धति सत्यापन करना था। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 18 लोगों ने भाग लिया।

आईटीसी-एफएसएएन, मुंबई ने ऑनलाइन व ऑफलाइन तरीके से कुल 13 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जो खाद्य कारोबारियों, विद्यार्थियों, अधिसूचित और राज्य प्रयोगशालाओं तथा उपभोक्ताओं के लिए थे। इनमें भारत के खाद्य विनियमों की जानकारी, एफएसएससी 22,000 आंतरिक ऑडिटर प्रशिक्षण, फोस्टैक - उन्नत कैटरिंग, डेयरी उत्पादों में मेलामाइन, सायन्यूरिक एसिड और डाइसायेंडियामाइड ज्ञात करना, यूएसफीडीए आयात विनियमों तथा मछली और मत्स्य उत्पादों का सूक्ष्मजैविक प्रतिचयन विषय सम्मिलित थे। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 513 लोगों ने भाग लिया।

खाद्य सुरक्षा समाधान केंद्र (एफएसएससी), एन.एफ.एल, गाजियाबाद ने राज्य खाद्य प्रयोगशालाओं, खाद्य उद्योगों, विद्यार्थियों और प्राथमिक अधिसूचित प्रयोगशालाओं, रेफरल खाद्य प्रयोगशालाओं के लिए एफ.एस.एस.ए.आई विनियमों के अनुसार β-सीटोस्टेरॉल आकलन" विषय पर 1 ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 250 लोगों ने भाग लिया।

4. दिनांक 06.08.2022 को नए फोस्टैक पोर्टल की शुरुआत होने पर पुराने तथा नए फोस्टैक पोर्टल के परिप्रेक्ष्य में दिनांक 22 अगस्त, 2022 की अधिसूचना द्वारा महत्वपूर्ण मार्गदशी सिद्धांत अधिसूचित किए गए।

5. दिनांक 09 अगस्त, 2022 के आदेश द्वारा फोस्टैक पैनल से निष्कासित 9 प्रशिक्षण सहयोगियों को पैनल में दुबारा शामिल किया गया।

■